छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार,दिनांक 23 मार्च, 2023 (चैत्र 2, 1945)

समय 11:00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, छत्तीसगढ़ विधान सभा की पूर्व सदस्य।

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान 2022–2023 के संदर्भ में प्रथम एवं द्वितीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 97/सी.एस.ई.आर.सी./2022, दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय प्रतिबद्धता एवं आर.ई.सी. पद्धति का क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 पटल पर रखेंगे।

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा गोदाम निर्माण कार्य का टेंडर अपात्र ठेकेदारों को दिये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री चंदन कश्यप, सदस्य, जिला–नारायणपुर के नारायणपुर–छोटे डोंगर सड़क अत्यंत जर्जर होने के संबंध में लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय
सायं 5:00 बजे तक

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–2) विधेयक, 2023 (क्रमांक 6 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 22 मार्च,2023